संख्या-01/2018/ए-1-53ए0जी0/दस-2017-10(50)/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 04 जनवरी, 2018**

विषय : तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को बन्द कर उसमें अवशिष्ट धनराशियों को सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-636(1)/दस-98-10(12)/95, दिनांक 04 मई, 1998 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली-1998" के भाग-4 के प्रस्तर-11(2), जो खाते बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है, में उल्लेख है कि **किसी वैयक्तिक लेखा खाते में तीन वर्ष तक कोई भी लेन-देन न हो, तो ऐसे खाते को बन्द करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध किया जायेगा। यदि लिखित अनुरोध की तिथि से तीन माह तक सक्षम प्राधिकारी का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के परामर्श से, यदि खाते में कोई धनराशि अवशेष है तो उसे सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिया जायेगा तथा खाते को बन्द कर दिया जायेगा एवं इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जायेगी। उक्त परिस्थितियों में खाता बन्द किये जाने की दशा में राज्य सरकार को यदि हानि होती है तो हानि के लिये सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।**

2- उपरोक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन हेतु निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि अवशेष धनराशि को प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा करने हेतु मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा पी0एल0ए0 संचालकों से अनुरोध करने पर उनके द्वारा पत्रों का उत्तर नहीं दिया जा रहा है एवं अवशेष धनराशि को प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु उनके द्वारा पी0एल0ए0 चेक भी नहीं निर्गत किया जा रहा है, जिसके कारण तीन वर्ष या अधिक समय से असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को बन्द कर उसमें अवशिष्ट धनराशियों को सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- अत: इस समस्या को निदान हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

(i) कोषागार स्तर पर प्रतिवर्ष अप्रैल माह में कोषागार साफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे वैयक्तिक लेखा खातों को चिन्हित किया जायेगा, जिसमें विगत् तीन वर्षों से कोई लेन-देन न हुआ हो।

(ii) उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली-1998 के भाग-4 के प्रस्तर-11 (2) के क्रम में ऐसे खातों को बन्द करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा जिस धनराशि का लेखाशीर्षक ज्ञात नहीं है उस धनराशि को जमा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का लिखित अनुरोध किया जायेगा कि इस धनराशि को लेखाशीर्ष-"2075-00-911-03-00" में जमा कर दें एवं पत्र में यह भी उल्लेख रहेगा कि लिखित अनुरोध की तिथि से तीन माह तक यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि जमा नहीं करायी जाती है एवं खाते को बन्द करने की कार्यवाही नहीं की जाती है, तो कोषागार द्वारा स्वयं इस धनराशि को लेखाशीर्ष-"2075-00-911-03-00" में जमा कर दिया जायेगा एवं वैयक्तिक लेखा खाते को बन्द कर दिया जायेगा। जिस धनराशि के आहरण के लेखाशीर्षक ज्ञात है उस धनराशि को उसी लेखाशीर्षक के अन्तर्गत लघु शीर्षक "911 डिडक्ट रिफण्ड" खोल कर उसके अन्तर्गत जमा किया जायेगा। यदि बजट साहित्य में ऐसा लेखाशीर्ष उपलब्ध नहीं है, तो निदेशक, कोषागार द्वारा बजट अधिकारी से अनुरोध करके उक्त लेखाशीर्ष खोले जाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(iii) वर्तमान वित्तीय वर्ष में चूंकि उपरोक्त बिन्दु-1 के अनुसार अप्रैल माह व्यतीत हो चुका है, अत: कोषागार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उससे पूर्व वर्षों में जमा धनराशि के सम्बन्ध में बिन्दु-(ii) के अनुसार तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी एवं आगामी वर्षों में यह प्रक्रिया सतत् रूप से लागू रहेगी।

(iv) इस प्रकार जमा की गई धनराशि की सूचना सम्बन्धित विभाग को भेज दी जायेगी। उक्त बिन्दु-ii के अनुसार खाता कोषागार द्वारा स्वयं बन्द किए जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की दशा में राज्य सरकार को यदि हानि होती है, तो हानि के लिए उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली-1998 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(v) तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बन्द करने हेतु कोषागार के साफ्टवेयर में एन0आई0सी0 के परामर्श से आवश्यक संशोधन एवं महालेखाकार को भेजे जाने वाले प्रपत्र के प्रारूप का निर्धारण निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जायेगा।

(vi) कोषागार द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि जमा किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली-1998 के भाग-चार के प्रस्तर-11(2) के अनुसार महालेखाकार, उ0प्र0 की सहमति की प्रत्येक प्रकरण में अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजीव मित्तल

प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2018/ए-1-53ए0जी0(1)/दस-2017-10(50)/2011, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, 24/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।